कार्यालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

राजकीय आई०टी०आई० परिसर, अलीगंज, लखनऊ–226024

पत्रांक – /कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/1322/2023–24 दिनांकः 30 मई, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ राजकीय संस्था Insitutute of Entrepreneurship Development U.P राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में मिशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओ को क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुबंधित है।

2. अनुबंध के General Conditions of Contract (Article-1) के प्रस्तर-4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण संचालन Subcotracting की प्रक्रिया द्वारा नही किया जायेगा तथा संस्था द्वारा Franchise arrangement के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

अग्रेतर अनुबंध के प्रस्तर-4 के उपप्रस्तर 4.3 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त निषेधकारी प्राविधानों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता का अनुबंध तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए संस्था को गैर सूचीबद्ध कर दिया जायेगा।

अनुबंध का प्रस्तर-4 निम्नवत उद्धधृत हैः-

4. Subcontracting or Frachising
   - 4.1 GTP shall not contract the conduct of training.
   - 4.2 GTP shall not operate the training centres via a franchise arrengement.
   - 4.3 Violation of the above provisions would invite immedifate termination of the agreement and de-empanelment of the concerned GTP.

3. उक्त अनुबंध के क्रम में Insitutute of Entrepreneurship Development U.P को मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/कौ.वि.मि./टी.पी.पी./362/2023-24 लखनऊ दिनांक-13.04-23 द्वारा जनपद लखनऊ,कानपुर नगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, बलिया में वर्ष 2023-24 में एस.एस.डी.एफ योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यावंटित किये गये है।

4. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान Insitutute of Entrepreneurship Development U.P को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण कराये जाने हेतु आपके द्वारा संस्थान की बेवसाइट www.iedup.in पर आवंटित लक्ष्यो को पूर्ण करने के लिए ई-निविदा के माध्यम से अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओ से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने की तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है।

5. आपकी आधिकारिक Website पर अपलोड किये गये Expression of Interest से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। संस्था द्वारा अनुबंध के प्राविधानो का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओ को चयनित कर Sub-letting के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने की कार्यवाही स्पष्टतः कदाचरण की श्रेणी के अन्तर्गत है।

5. अतः संस्था के उक्त कदाचरण को संज्ञान में लेते हुए अनुबंध के अन्तर्गत General conditions of contract (Annexure-1) के प्रस्तर 4.3 के अनुसार Insitutute of Entrepreneurship Development U.P के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को निरस्त करते हुए संस्था को तात्कालिक प्रभाव से डी-इम्पैनल किया जाता है तथा संस्था को आवंटित लक्ष्य प्रत्याहरित (Withdraw) किय जाते है।

7. इसके अतिरिक्त उक्त संस्था को भविष्य में भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ किसी प्रकार के अनुबंध हेतु डिबार (Debar) किया जाता है।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस
मिशन निदेशक

पत्रांक-647 / कौ.वि.मि./टी.पी.पी./1322/2023-24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
5. जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, सम्बन्धित जनपद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
6. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
7. सहायक निदेशक/ प्रभारी (आई.टी) उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
8. सहायक निदेशक/ प्रभारी (आई.टी) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को पोर्टल पर अपलोड करने तथा पोर्टल पर तदनुसार लक्ष्यों के संशोधन हेतु।
9. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस
मिशन निदेशक

कार्यालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

राजकीय आई०टी०आई० परिसर, अलीगंज, लखनऊ–226024

पत्रांक – /कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/1322/2023–24 दिनांकः 30 मई, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ राजकीय संस्था Insitutute of Entrepreneurship Development U.P राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में मिशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओ को क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुबंधित है।

2. अनुबंध के General Conditions of Contract (Article-1) के प्रस्तर-4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण संचालन Subcotracting की प्रक्रिया द्वारा नही किया जायेगा तथा संस्था द्वारा Franchise arrangement के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

अग्रेतर अनुबंध के प्रस्तर-4 के उपप्रस्तर 4.3 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त निषेधकारी प्राविधानों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता का अनुबंध तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए संस्था को गैर सूचीबद्ध कर दिया जायेगा।

अनुबंध का प्रस्तर-4 निम्नवत उद्धधृत हैः-

4. Subcontracting or Frachising
   - 4.1 GTP shall not contract the conduct of training.
   - 4.2 GTP shall not operate the training centres via a franchise arrengement.
   - 4.3 Violation of the above provisions would invite immedifate termination of the agreement and de-empanelment of the concerned GTP.

3. उक्त अनुबंध के क्रम में Insitutute of Entrepreneurship Development U.P को मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/कौ.वि.मि./टी.पी.पी./362/2023-24 लखनऊ दिनांक-13.04-23 द्वारा जनपद लखनऊ,कानपुर नगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, बलिया में वर्ष 2023-24 में एस.एस.डी.एफ योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यावंटित किये गये है।

4. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान Insitutute of Entrepreneurship Development U.P को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण कराये जाने हेतु आपके द्वारा संस्थान की बेवसाइट www.iedup.in पर आवंटित लक्ष्यो को पूर्ण करने के लिए ई-निविदा के माध्यम से अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओ से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने की तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है।

5. आपकी आधिकारिक Website पर अपलोड किये गये Expression of Interest से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। संस्था द्वारा अनुबंध के प्राविधानो का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओ को चयनित कर Sub-letting के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने की कार्यवाही स्पष्टतः कदाचरण की श्रेणी के अन्तर्गत है।

5. अतः संस्था के उक्त कदाचरण को संज्ञान में लेते हुए अनुबंध के अन्तर्गत General conditions of contract (Annexure-1) के प्रस्तर 4.3 के अनुसार Insitutute of Entrepreneurship Development U.P के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को निरस्त करते हुए संस्था को तात्कालिक प्रभाव से डी-इम्पैनल किया जाता है तथा संस्था को आवंटित लक्ष्य प्रत्याहरित (Withdraw) किय जाते है।

7. इसके अतिरिक्त उक्त संस्था को भविष्य में भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ किसी प्रकार के अनुबंध हेतु डिबार (Debar) किया जाता है।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस
मिशन निदेशक

पत्रांक-647 / कौ.वि.मि./टी.पी.पी./1322/2023-24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
5. जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, सम्बन्धित जनपद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
6. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
7. सहायक निदेशक/ प्रभारी (आई.टी) उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
8. सहायक निदेशक/ प्रभारी (आई.टी) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को पोर्टल पर अपलोड करने तथा पोर्टल पर तदनुसार लक्ष्यों के संशोधन हेतु।
9. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस
मिशन निदेशक